**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1506**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**सिविल रक्षा के लिए केन्द्र की सहायता हिस्सेदारी में वृद्धि**

**1506. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार राज्यों में सिविल रक्षा के क्षमता निर्माण के लिए एक पैकेज/सहायता अनुदान प्रदान करने का विचार करेगी;**

**(ख) क्या सरकार सिविल रक्षा के संबंध में केन्द्र की सहायता हिस्सेदारी के अनुपात में केन्द्र और राज्य के 25:75 को 50:50 तक बढ़ाने पर विचार करेगी चूंकि वर्ष 1996/1997 से पहले 50:50 का अनुपात ही व्यवहार में था;**

**(ग) क्या सरकार सिविल रक्षा स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले ‘‘ड्यूटी कॉल अप’’ भत्ते की दर को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के ₹ 31/- से बढ़ाकर ₹ 300/- करने पर विचार करेगी; और**

**(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क): राज्‍यों के संबंध में नागरिक सुरक्षा के गठन, प्रशिक्षण और सुसज्‍जीकरण के खर्च में निर्धारित की गई हिस्‍सेदारी के अनुसार राज्‍यों को सहायता अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्‍ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में सहायता के मानदंडों में प्रावधान है कि एसडीआरएफ के वार्षिक आवंटन में से 5% तक का उपयोग राज्‍यों में नागरिक सुरक्षा सहित आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु किया जायेगा।

(ख) से (घ): वर्तमान में ऐसे कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं हैं।

\*\*\*\*\*